दिनांक–24.01.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, धमदाहा, फारबिसगंज, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियाँ के साथ PHED & PRD से हस्तांतरित योजनाओं के एकरारनामा, मरम्मति दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. विद्युत विपत्र के भुगतान की स्थिति :–

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियॉ अंतर्गत प्रमंडलों में विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की समीक्षा के क्रम में दिनांक–01.09.2025 के आधार पर की गयी दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय कुल लंबित बकाया राशि ₹2179.09 लाख है, जिसके विरूद्ध दिनांक–23.01.2026 तक मात्र ₹1750.67 लाख भुगतान प्रतिवेदित किया गया है। शेष राशि के भुगतान के संबंध में पृच्छा की गयी तो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों की बकाया राशि का अविलंब शत–प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में यह निदेश दिया गया कि प्रमंडलों द्वारा जो अधियाचना की जाती है एवं विभाग द्वारा जो अधियाचित राशि दी जाती है उसके अनुसार विद्युत मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को दी जा रही अधियाचित राशि के अनुपात में विद्युत मद में भुगतान नहीं कराया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

  अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

- समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संवेदकों द्वारा विद्युत विपत्रों की राशि का विलंब से एवं अत्यंत ही कम मात्रा में भुगतान करने के कारण वह राशि DPS में समायोजित हो जाता है। विदित हो कि ससमय भुगतान नहीं होने के कारण ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विलंब भुगतान अधिभार (DPS) लिया जाता है। फलतः संवेदकों द्वारा भुगतान की गयी राशि का जो अंश DPS में समायोजित हो जाता है, उस राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि प्रमंडलों द्वारा संवेदकों को विलंब भुगतान अधिभार मद में समायोजित राशि का प्रतिपूर्ति किया जाता है तो इस राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से किया जायेगा। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के भुगतान हेतु अधियाचना में उर्जा मद

एवं विलंब भुगतान अधिभार मद की राशि स्पष्ट रूप से अलग–अलग अंकित किया जाय। इसका अनुश्रवण संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा।

अनुपालनः–संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता / कनीय अभियंता को दायित्व देंगे कि विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का भुगतान एवं विद्युत मीटर रीडिंग की सत्यानोपरांत MIS Portal पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता / सभी सहायक अभियंता / सभी कनीय अभियंता।

- ❖ अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्र में शून्य Unit दर्जभार वाले संवेदकों का जाँच करेंगे एवं एकरारनामा में विहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

2. MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT etc.):-

- ❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT की प्रविष्टि में कई तरह की त्रूटियां हैं साथ ही जो प्रविष्टि की गयी है। वह भी आंशिक रूप से। साथ ही समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक / मरम्मति दल / सुपरवाइजर के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है, जिसके कारण नियमानुकूल कार्रवाई / ससमय शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र / अंचल / प्रमंडल स्तर से MIS पर प्रविष्टि का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के भीतर MIS पर त्रूटिरहित PHED & PRD Ward Mapping के अतिरिक्त अन्य सभी यथा संवेदक / मरम्मति दल एवं सुपरवाइजर का सही नाम एवं मोबाईल नंबर के साथ मैपिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

Not Mapping Summary Report as on 23.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Not mapped Ward with Repair Team (PHED)	mapped Ward with Repair Team (PHED)	Not mapped Ward with Repair Team (PRD)	mapped Ward with Repair Team (PRD)
1.	Araria	686	1517	00	00
2.	Dhamdaha	980	672	00	00
3.	Forbesganj	687	966	00	00
4.	Katihar	2366	1336	00	00
5.	Kishanganj	198	2726	00	00
6.	Purnea	433	1715	00	00

अनुपालनः–संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

ElectricityConsumerMapped Summary of Civil (PHED) Report as on 22.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	%
1.	Araria	1947	1605	82
2.	Dhamdaha	1915	1656	86
3.	Forbesganj	1592	1398	87
4.	Katihar	3921	3339	85
5.	Kishanganj	2325	2196	94
6.	Purnea	1923	1782	92

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार, पूर्णियाँ, धमदाहा, किशनगंज, अररिया एवं फारबिसगंज द्वारा PHED योजनातंर्गत Electricity Consumer Mapping कराते हुए यथा शीघ्र निर्धारित समय—सीमा के अंदर MIS पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा संबंधित कार्यपालक अभियंता / संवेदक पर कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा उक्त कार्य की प्रगति का दैनिक अनुश्रवण करते हुए MIS पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि PHED & PRD संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर / भंडार का GPS Location अंकित करते हुए सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्ट करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रातंर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण / मरम्मति एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत अनुपात में संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालनः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

3. <u>CGRC निष्पादनः—</u>

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ अंतर्गत 133 पंचायतों में दिनांक—15.08.2025 से दिनांक—23.01.2026 तक शून्य शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के दौरान बताया गया कि उक्त पंचायतों में दूरभाष / आवेदन या किसी अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है, जिसका निराकरण कर दिया गया है। दूरभाष / आवेदन या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को CGRC Portal पर अपलोड करने का निदेश दिया गया ताकि मुख्यालय स्तर से इसका अनुश्रवण किया जा सके। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों का योजनावार क्रियाशीलता अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत अररिया प्रखंड के बटुवारी पंचायत में कार्यरत संवेदक के द्वारा दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त कुल–55 शिकायतों के निष्पादन में 53 दिनों का समय लिया गया है। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, अररिया द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक द्वारा कई स्थलों में क्षतिग्रस्त किए गए पाईप लाइन की मरम्मति एवं शिकायतों का निष्पादन ससमय नहीं किया गया जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। इस संबंध में संबंधित संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में Debar / Rescind / Blacklist करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। साथ ही उक्त कि शिकायतों का ससमय निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत अररिया प्रखंड के तरौना भोजपुर पंचायत में कार्यरत संवेदक के द्वारा दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त कुल–21 शिकायतों के 4 शिकायत अभी भी लंबित पाया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि योजना को अधूरा छोड़ दिया गया है एवं 6 महीने से लीकेज की मरम्मति नहीं किया गया। तरौना के वार्ड नं0–5 में लाभार्थी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया। उनको नल जल का योजना से जलापूर्ति नहीं मिल रहा है। लाभार्थी द्वारा दर्ज शिकायत पर संबंधित संवेदक द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, अररिया को निदेशित किया गया कि विभागीय संकल्प के आलोक में संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करें एवं उक्त शिकायत का ससमय निराकरण करें।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत रफिगंज प्रखंड के परसाहट पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त 01 शिकायत का निष्पादन करने में औसतन 10 दिनों का समय लिया जा रहा है। पृच्छा के क्रम में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया जा रहा है कि संबंधित संवेदक पर 2000 रूपए का अर्थ दंड लगाए हैं। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा–05 / 11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को विभागीय संकल्प के आलोक में संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने एवं शिकायतों का ससमय निराकरण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत अररिया प्रखंड के बंसतपुर, अररिया बस्ती, तरौना भोजपुर, जमुआ, पोखरिया एवं बटुवारी में पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त शिकायतों में क्रमशः 11, 06, 04, 03, 03 एवं 02 शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, अररिया के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता

से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही उक्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत कस्बा प्रखंड के कुल्ला खास पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त कुल–26 शिकायतों से 06 शिकायतें लंबित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 01 शिकायत ऑपरेटर मानदेय से संबंधित है एवं शेष 05 शिकायतों के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने एवं शिकायतों का ससमय निराकरण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार अंतर्गत कडवा प्रखंड के कुम्हरी एवं चंदहर पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त कुल–10, 08 शिकायतों में अभी भी 04 एवं 03 शिकायतें लंबित है। कार्यपालक अभियंता, कटिहार द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक को Rescind कर अन्य संवेदक द्वारा काम कराया जा रहा है। उक्त शिकायतों का ससमय निराकरण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड के बंगमा पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 प्राप्त 01 शिकायत का निष्पादन करने में संबंधित संवेदक द्वारा औसतन 18 दिन का समय लिया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक को Rescind कर दिया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्राप्त शिकायतों का ससमय निराकरण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, धमदाहा अंतर्गत रूपौली प्रखंड के दोभा मिल्की पंचायत में प्राप्त 6 शिकायत में 3 शिकायत का निष्पादन करने में संबंधित संवेदक द्वारा औसतन 20 दिन का समय लिया गया एवं 3 शिकायतें अभी भी लंबित पाया गया। जिसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक को डिवार किया गया एवं पेनल्टी भी लगाया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित संवदेक द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के करण Rescind/Blacklist करें। उक्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराना सुनिश्ति करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, धमदाहा अंतर्गत भवानीपुर प्रखंड के सोनमा पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 तक प्राप्त 05 शिकायत में 05 शिकायत अभी भी लंबित पाया गया। जिसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सोनमा पंचायत में 15 घरों में गृह जल संयोजन के लिए 250 मीटर पाईप बिछाने की

आवश्यकता है। लाभार्थी से दूरभाष के माध्यम से पृच्छा के क्रम में बताया गया कि उक्त पंचायत के वार्ड संख्या–08 एवं 09 में योजना है। जिसमें वार्ड संख्या–08 से उसका घर समीप में है। जिससे उसे जलापूर्ति मिल सकती है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को स्वयं स्थल निरीक्षण कर उक्त शिकायत का निराकरण शीघ्र करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि धमदाहा अंतर्गत बरहारा कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 तक प्राप्त 1 शिकायत का निष्पादन कराने में 81 दिन का समय लगा। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया / संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फारबिसगंज अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के मधुरा दक्षिण पंचायत में दिनांक–15.08.2025 से 23.01.2026 तक प्राप्त कुल–4 शिकायत में 2 निष्पादन कराने में औसतन 16 दिन का समय लगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शिकायतों का निष्पादन कराने में लगे अधिकतम समय के कारण एंजेसी पर आर्थिक दंड लगाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एंजेसी / संवेदक पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करें।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निष्पादन में विभागीय मानक के अनुरूप निर्धारित समय–सीमा से अतिरिक्त समय लिया जा रहा है, जिस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए उनके विरूद्ध एकरारनामा अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोकस्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, धमदाहा, फारबिसगंज, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियाँ, को निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर कार्यपालक अभियंता विशेष ध्यान देते हुए मानव बल का आकलन / कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक की कार्य पद्धति को प्रतिदिन अनुश्रवण करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रति 02 वार्डों में संवेदक द्वारा कम से कम 01 टीम कार्यरत हो तथा प्रतिदिन सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से संवेदकवार क्षेत्र में लगाए गए

टीम का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरकर EE कंट्रोल रूम के Whatsapp Group पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, धमदाहा, फारबिसगंज, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि वैसे संवेदक जिनके कार्य क्षेत्र में अधिक—से—अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता कृत कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभीकार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निम्नवत् रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

- **I.** Panchayat with No Complain Report (CGRC)
- **II.** Contractor wise Average solving time report
- **III.** Contractor wise Average Pending days report
- **IV.** Maximum count wise report
- **V.** Contractor wise most pending report

अनुपालनः—क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि CGRC पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन विभागीय SOP के तहत की जाय।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता।

4. <u>अन्यान्यः—</u>

❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि "हर घर नल का जल" योजना के छूटे हुए टोलों में भूमि उपलब्धता की अद्यतन स्थिति विभागीय MIS Portal पर प्रविष्ट करेंगे तथा भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में जिलास्तरीय पदाधिकारी से समन्वय हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी से संपर्क करेंगे।

अनुपालनः—सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ SVS/PWS क्रियाशीलता एवं विद्युत विपत्र के भुगतान आदि की विशेष निगरानी का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाती है। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक उक्त से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित अधीक्षण अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के संवेदक शफीक आलम द्वारा पूर्व में रेर्टोफिटिंग के कराए गए कार्य के भूगतान नहीं होने के संबंध में बताया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार अंतर्गत संवेदक राजा राम महतो द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री यात्रा में कराए गए कार्य का भुगतान लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य अभियत्रण अंचल, पूर्णियाँ अंतर्गत कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत किया गया कि विचलन के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान लंबित रहने की स्थिति में योजनाओं को क्रियाशील रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि मुख्यालय के नोडल पदाधिकारी (आवंटन) से समन्वय कर भुगतान सुनिश्चित करें।

अनुपालनः—संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी—06/12

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल) 24/02/26
सचिव

ज्ञापांकः— 14/बैठक—1020/24-159 दिनांक— 25/2/26

प्रतिलिपिः—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता—सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्रवाईहेतुप्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः— 14/बैठक—1020/24-159 दिनांक— 25/2/26

प्रतिलिपिः—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक — 1020/24-159 दिनांक– 25/2/26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक — 1020/24-159 दिनांक– 25/2/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

संयुक्त सत्यापन (दिनांक 01.09.2025 का बकाया विवरणी) के आधार पर PHED योजनाओं (HGN सहित) के संवेदकों/एजेंसियों के विरूद्ध लंबित विद्युत विपत्रों के भुगतेय एवं भुगतान राशि से संबंधित प्रतिवेदन :

दिनांक 23.01.2026 राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमंडल/अवर प्रमंडल का नाम	PHED गैर HGN से संबंधित एजेन्सी / संवेदक के स्तर से भुगतेय एवं भुगतान राशि: संवेदक के स्तर से भुगतेय राशि	PHED गैर HGN: संयुक्त सत्यापनोपरांत (01.09.2025 के अनुसार) अबतक कुल भुगतान	शेष (4−5)	PHED HGN से संबंधित एजेन्सी / संवेदक के स्तर से भुगतेय एवं भुगतान राशि: संवेदक के स्तर से भुगतेय राशि	PHED HGN: संयुक्त सत्यापनोपरांत (01.09.2025 के अनुसार) अबतक कुल भुगतान	शेष (7−8)	एजेन्सी / संवेदक के स्तर से कुल भुगतेय एवं कुल भुगतान राशि: संवेदक के स्तर से कुल भुगतेय राशि (4+6)	संयुक्त सत्यापनोपरांत (01.09.2025 के अनुसार) अबतक कुल भुगतान (5+7)	प्रमंडलवार भुगतान का प्रतिशत	शेष (10−11)	दिनांक 10.11.2025 से दिनांक 21.12.2025 तक	दिनांक 12.01.2026 का भुगतान	दिनांक 13.01.2026 का भुगतान	दिनांक 14.01.2026 का भुगतान	दिनांक 15.01.2026 का भुगतान	दिनांक 16.01.2026 का भुगतान	दिनांक 17.01.2026 का भुगतान	दिनांक 19.01.2026 का भुगतान	दिनांक 20.01.2026 का भुगतान	दिनांक 21.01.2026 का भुगतान	दिनांक 22.01.2026 का भुगतान	दिनांक 23.01.2026 का भुगतान	कुल जोड़ (दिनांक 22.12.2025 से दिनांक 23.01.2026 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	339.38	87.42	251.96	164.05	45.53	118.52	503.43	132.95	26.41	370.48	96.14	1.16					0.76						36.81
2	भागलपुर	भागलपुर पश्चिम	139.64	75.50	64.14	206.40	78.46	127.94	346.04	153.96	44.49	192.08	72.37			39.10	1.00		1.77	2.08	2.40	2.69	0.49	10.00	81.59
3	बांका	बांका	215.13	101.47	113.66	129.46	71.98	57.48	344.59	173.45	50.34	171.14	68 21	1.20	8.91	1.56	1.15	0.40	0.50	1.49		5.77	3.66	4.09	105.24
4	बांका	बाराहाट	223.07	70.72	152.35	128.37	73.34	55.03	351.44	144.06	40.99	207.38	48 85	0.34	1.13							9.15		0.09	95.21
		कुल	**917.22**	**335.11**	**582.11**	**628.28**	**269.31**	**358.97**	**1545.50**	**604.42**	**39.11**	**941.08**	**285.57**	**2.70**	**10.04**	**40.66**	**2.15**	**0.40**	**3.03**	**3.57**	**2.40**	**17.61**	**4.15**	**14.18**	**318.85**
5	कटिहार	कटिहार	72.07	15.20	56.87	504.58	441.32	63.26	576.65	456.52	79.17	120.13	131.08	9.80	1.45	1.60	2.28	3.13	2.28	4.44	1.60	3.38	1.60		325.44
6	पूर्णिया	पूर्णियां	41.11	45.50	-4.39	148 94	106.98	41.96	190.05	152.48	80.23	37.57	56.69	0.54	0.63	4.95	1.38	2.71	0.32	1.61	3.34	2.50		0.80	95.79
7	पूर्णिया	बनदाहा	74.78	37.47	37.31	132.95	123.49	9.46	207.73	160.96	77.49	46.77	76.22	2.76	4.50	0.25	0.50	0.35		2.49	1.00	0.50	2.00	3.60	84.74
8	किशनगंज	किशनगंज	30.96	39.34	-8.38	285.41	251.04	34.37	316.37	290.38	91.78	25.99	208.44	8.13	2.26	4.19		1.02	2.26	2.18	2.10	2.40	0.52		81.94
9	अररिया	अररिया	93 94	19.00	74.94	335.54	318.25	17.29	429 48	337.25	78.53	92.23	127.25	13.00		5.00									210.00
10	अररिया	फारबिसगंज	32.29	7.80	24.49	426.52	345.28	81.24	458.81	353.08	76.96	105.73	306.86												46.22
		कुल	**345.15**	**164.31**	**180.84**	**1833.94**	**1586.36**	**247.58**	**2179.09**	**1750.67**	**80.34**	**428.42**	**906.54**	**34.23**	**8.84**	**15.99**	**4.16**	**7.21**	**4.86**	**10.72**	**8.04**	**8.78**	**4.12**	**4.40**	**844.13**

Scanned with OKEN Scanne